

कार्यालय जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

क्रमांक:प.12-5(02)राजस्व/2025/2134

दिनांक:- 17/10/2025

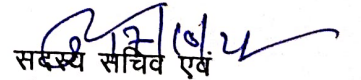
आदेश

मैसर्स ए.वी.एस. कॉन्ट्रेक्टर्स द्वारा आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर मैसर्स ए.वी.एस. कॉन्ट्रेक्टर्स प्रा0 लि0 90/33, द्वितीय मंजिल, ओखला फेज-1, नई दिल्ली के पक्ष में जिला कलक्टर के (1) आदेश सख्या 885 दिनांक 16.2.2015 से ग्राम चावण्डी खुर्द तहसील तिजारा की आराजी खसरा नम्बर 197 रकबा 0.37 है0, 198 रकबा 0.71 है0, 201 रकबा 0.5740 है0, 203 रकबा 0.37 है0 एवं (2) आदेश सख्या 9016 दिनांक 14.11.2018 से गांव चावण्डीखुर्द की आराजी ख0 न0 204 रकबा 0.14 है0, ख0 न0 205 रकबा 0.10 है0 किता 2 रकबा 0.24 है0 तथा गांव जगमलहेडी के आराजी खसरा नम्बर 250 रकबा 0.73 है0, ख0 न0 251 रकबा 0.33 है0 किता 2 रकबा 1.06 है0 एवं (3) आदेश सख्या 8780 दिनांक 24.10.2018 से गांव चावण्डीखुर्द के आराजी ख0 न0 533/212 रकबा 0.54 है0, ख0 न0 543/240 रकबा 0.58 है0, ख0 न0 541/241 रकबा 0.12 है0, ख0 न0 242 रकबा 0.19 है0, ख0 न0 243 रकबा 0.15 है0 किता 5 रकबा 1.58 है0 व गांव जगमलहेडी की आराजी खसरा नम्बर 297/258 रकबा 0.12 है0 एवं (4) आदेश सख्या 1211 दिनांक 23.06.2020 से चावण्डीखुर्द की आराजी ख0 न0 245 रकबा 0.14 है0, आ0ख0 न0 246 रकबा 0.14 है0, आ0ख0 न0 535/247 रकबा 0.46 है0, किता 3 रकबा 0.74 है0 तथा (5) आदेश सख्या 2563 दिनांक 07.9.2020 से गांव चावण्डीखुर्द की आराजी ख0 न0 236/1 रकबा 0.370 है0, ख0 न0 236/2 रकबा 0.944 है0, ख0 न0 542/241/1 रकबा 0.860 है0, ख0 न0 542/241/2 रकबा 0.317 है0 किता 4 रकबा 0.2491 है0 व गांव जगमलहेडी की आ0ख0 न0 286/249 रकबा 0.1875 है0, ख0 न0 285/249/1 रकबा 0.1875 है0, ख0 न0 288/254 रकबा 0.900 है0, ख0 न0 287/254/1 रकबा 0.1000 है0 किता 4 रकबा 0.5650 है0 तथा (6) आदेश सख्या 813 दिनांक 16.4.2019 से गांव भाभडाका की आराजी ख0 न0 1373/1199 रकबा 0.25 है0 भूमि, मैसर्स महेश इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 105 विवेक विहार दिल्ली के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी तिजारा ने (1) आदेश सख्या 1541-45 दिनांक 10.5.2019 से गांव चावण्डीखुर्द की आ0ख0 न0 534/212 रकबा 5400 वर्गमीटर एवं (2) आदेश सख्या 71-73 दिनांक 29.6.2020 से गांव चावण्डीखुर्द की आ0ख0 न0 536/247 रकबा 4600 वर्गमीटर भूमि, श्रीसुरेश शर्मा पुत्र श्री दयाराम शर्मा एवं श्रीमति सुचित्रा पत्नि श्री सुरेश शर्मा निवासियान म0 न0 899/21 सी, फरीदा बाद के पक्ष में आदेश सख्या 824 दिनांक 16.4.2019 से गांव जगमलहेडी आराजी खसरा नम्बर 256 रकबा 0.11 है0, 257 रकबा 0.43, 298/258 रकबा 0.6333 है0 किता 3 रकबा 1.1733 है0 भूमि मैसर्स अरोमा आशियाना प्रा0 लि0 यूजीएफ 11, ओजोन सेंटर सेक्टर 12 फरीदाबाद के पक्ष में आदेश सख्या 1899 दिनांक 17.7.2019 से गांव चावण्डीखुर्द की आ0ख0 न0 546/199 रकबा 0.2356 है0, ख0 न0 548/200 रकबा 0.4378 है0 किता 2 रकबा 0.6734 है0 (कुल रकबा 96747.40 वर्गमीटर) भूमि का आवासीय प्रोजेक्ट प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि का पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी, टपूकड़ा एवं उप नगर नियोजक, अलवर द्वारा विकास कार्य पूर्ण करने एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु अनापत्ति प्रेषित की गई एवं राज्य सरकार द्वारा सम्पर्वर्तन नियम 2007 में गठित जिला स्तरीय समिति की षष्ठम बैठक दिनांक 19.09.2025 में उप नगर नियोजक, अलवर की सहमति के आधार पर उक्तानुसार सर्वसम्मति से पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः प्रार्थी के आवेदन, जांच अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट एवं उप नगर नियोजक, अलवर की सहमति के आधार पर जिला स्तरीय कमेटी के सदस्यों की सर्वसम्मति के अनुसार उक्त आवासीय प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


सदस्य सचिव एवं

पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर,
खैरथल-तिजारा

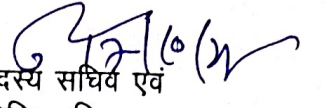
क्रमांक:राजस्व/2025/2135-2143

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्भागीय आयुक्त महोदय, जयपुर संभाग जयपुर।
2. मुख्यनगर नियोजक(एन0सी0आर0), नगर नियोजन भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
3. अधिशाही अभियंता, अभियांत्रिकी, जिला परिषद खैरथल-तिजारा।

दिनांक:- 17/10/2025

4. प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व-लेखा शाखा कलक्ट्रेट खैरथल-तिजारा।
5. उपखण्ड अधिकारी टपूकड़ा/तिजारा।
6. उप नगर नियोजक, अलवर क्षेत्र अलवर।
7. तहसीलदार, टपूकड़ा/तिजारा जिला खैरथल-तिजारा।
8. प्राधिकृत अधिकारी मैसर्स.....।
9. रक्षित पत्रावली।


सदस्य सचिव एवं

पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर,
खैरथल-तिजारा